न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 110/2019 (RCMS : 2019/00198) अनवान रूपाराम पुत्र बिशनाराम जाति मेघवाल निवासी चक 1 जे एस डी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. विजय सिंह पुत्र ओम प्रकाश जाति मेघवाल निवासी चक 4 एल सी हाल गांव मोधूनगर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ 2. गुरवत सिंह पुत्र दलेल सिंह जटसिख निवासी चक 1 जे एस डी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर 3.हरबंस सिंह पुत्र दलेल सिंह जटसिख निवासी चक 1 जे एस डी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर 4 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, विजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.11.2019

पत्रावली पेश हुई। **प्रार्थी के अधिवक्ता** श्री शिवप्रकाश कालड़ा एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, विजयनगर के न्यायालय में प्रकरण संख्या 230/2015 चक 1 एसडी व 4 एलसीबी की मुश्तरका खाते की तथा उसके नाम से 6.725 हैक्टैयर का कथन करके एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 183 आर.टी.ए. का अनवानी विजयसिंह बनाम रूपाराम आदि का पेश किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थी ने उपरोक्त मुकद्दमा में जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश करते हुए कथन किया कि प्रतिवादी का वास्तव में कोई हक हिस्सा ना होने तथा कब्जा मन प्रार्थी का होने तथा मन प्रार्थी द्वारा भूमि क्रय की होने का कथन कर व प्रतिकूल कब्जा होने का कथन कर जवाब दावा के साथ काउंटर क्लेम भी पेश किया और गत नियत दिनांक 29.08.2019 को वादी की साक्ष्य पेश हुई। वादी ने आहता कचहरी में पेश होने से पूर्व प्रार्थी को कहा कि पीठासीन अधिकारी व्यास कॉलोनी के रहने वाली है और उसके नाना का सगा भाई आदराम जो कि पूर्व में विधायक पीलीबगा का है, की पीठासीन अधिकारी से जानकारी है, आज वो विधायकजी आए हुए है तथा पीठासीन अधिकारी से मिले है। मेरे नाना निकूराम पुत्र छोगाराम द्वारा भी केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल से अप्रोच कर रखी है इसलिए फैंसला उसके हक में होगा।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि पीठासीन अधिकारी का तरीका पक्षपातपूर्ण है जिससे प्रार्थी को न्याय नहीं मिलेगा।

उनका यह भी कथन है कि जवाब दावा व काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि वास्तव में वादग्रस्त आराजी जिसे वादी/अप्रार्थी विजय सिंह अपनी होने का कथन का दावा लाया है वह वास्तव में मन प्रार्थी रूपाराम की खरीदशुदा है तथा परिवार में सद्भाव बना रहे इसलिए वादी के पिता के नाम दर्ज करवाई गई थी जबकि वादी के पिता, वादी की माता ने कभी काश्त नहीं किया। इस प्रकार प्रार्थी विजय सिंह वास्तव में प्रार्थी रूपराम की भूमि को हड़पना चाहता है इस कारण गलत तथ्यों पर दावा पेश किया गया है। अगर प्रार्थी का उक्त मुकद्दमा पीठासीन अधिकारी के पास रहा तो उसे निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उसका प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रार्थी द्वारा लगाये गए आरोपों का खण्डन करते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारी के स्थाई निवास की जानकारी एवं पूर्व विधायक पीलीबंगा आदराम व केन्द्रीय विधायक अर्जुन मेघवाल से कोई जानकारी या रिश्तेदारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप साधारण प्रकृति के है जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं है केवल मात्र विलम्ब करने के लिए यह प्रार्थना पेश किया है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैनें दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, विजयनगर के न्यायालय में प्रकरण संख्या 230/2015 अनवानी विजय सिंह बनाम रूपाराम आदि अन्तर्गत धारा 88, 53, 183 आर.टी.ए. का लम्बित है को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस मामले में इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित मामले के गुणदोष पर विचार नहीं करना है केवल मात्र इस बात पर विचार करना है कि प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी से निष्पक्ष न्याय मिलने

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

की संभावना है अथवा नही? प्रार्थी ने मुंतकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने के आरोप लगाए है, जिसका पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 18.10.2018 में खण्डन किया है और यह टिप्पणी की है कि प्रकरण का निस्तारण विधि अनुसार ही किया जावेगा। अगर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो प्रार्थी की संतुष्टि के लिए उचित होगा।

चूंकि प्रार्थी द्वारा राजनैतिक प्रभाव सम्बन्धी लगाए गए आरोप साधारण प्रकृति है के है और ऐसे आरोप कभी भी, किसी पर भी लगाए जा सकते हैं। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है, जिससे प्रथम दृष्टया ज्ञात हो कि अगर प्रकरण को मुंतकिल नहीं किया गया तो प्रार्थी को निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं मिलेगा। चूंकि मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं है इसलिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुंतकिल प्रार्थना पत्र निस्तारित **किया जाता हैं।** आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर